अनूप राम बनाम रामजीलाल

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
[illegible] सं. - 156/2024	

08.11.2024 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा फर्द दस्तावेजात किता-1 पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या-6 की ओर से जवाब टी0आई0 पेश नही कर सीधे बहस किया जाना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या-7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। वावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या-7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय टी0आई0 पत्रावली दिनांक 21.11.2024 को पेश हों।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

21.11.2024 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश/निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश/निर्णय टी0आई0 पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हों।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

28.11.2024 वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ~~[illegible]~~ स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
156 / 2024	2024 / 321	27.09.2024	28.11.2024

1. भग्गूराम पुत्र चतरूराम उम्र 73 वर्ष जाति जाट निवासी भीखरू की ढाणी ग्राम हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

—प्रार्थी—

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र नाथुराम उम्र 55 वर्ष
2. बन्शीधर पुत्र नाथुराम उम्र 53 साल
3. नागरमल पुत्र नाथुराम उम्र 45 वर्ष
4. महेश कुमार पुत्र नाथुराम उम्र 42 साल
5. नरेन्द्र कुमार पुत्र नाथुराम उम्र 38 साल
6. शिवकोरी पत्नि नाथुराम उम्र 75 साल

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

——अप्रार्थीगण——

उपस्थित :–
श्री गिरिराज शर्मा एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 अप्रार्थी संख्या–1 ता 6 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या–7

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 5780, 6924, 6925, 6927 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 हैक्टेयर अवस्थित ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना है। उक्त भूमि में वर्तमान खातेदारी में प्रार्थी का 5/12 हिस्सा व फूलन देवी जो प्रार्थी की बहन है, का 1/12 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 भी 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है । जमाबंदी में हालांकि कमली, गुलाबी, श्रवणी, सावित्री नाम दर्ज है, किन्तु इन लोगो ने हकत्याग कर दिये है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 6924, 6925, 6927 व 5780 को कोई विधिक विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। मौके पर अस्थाई रूप से पृथक–पृथक काश्त करते है, किन्तु अप्रार्थीगण, प्रार्थी को भूमियों का 1/2 हिस्सा जितना रकबा बाहने–जोतने में मजाहमत करते है व रूकावट पैदा करते है। उक्त भूमियों में पुरानी पिता/दादा के समय की हवेली पूर्व झांकती हवेली भी बनी हुई है , जिसमें भी प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, किन्तु उसमें भी अप्रार्थीगण, प्रार्थी को घुसने नहीं देते हैं एवं अब अप्रार्थीगण मौके पर जोर–जबरन से बिना बंटवारा वादग्रस्त भूमि पर पुख्ता निर्माण करके भूमि को अकृषि कार्य में प्रयुक्त कर रहे है एवं भूमि को नष्ट कर रहे है व भूमियों के कानूनी बंटवारे में जटिलतायें पेदा करने के लिये विशिष्ट भू–भाग को जबरन कब्जे में अवैध निर्माण के जरिये लेने पर आमादा है, जबकि ऐसे निर्माण किये जाने से पूर्व प्रार्थी सहखातेदार की अनुमति, सहमति नहीं ली गई ना ही लैण्ड होल्डर से अनुमति ली गई है, ना ही मकानात की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पहले से पूर्व झांकती हवेली मौके पर बनी हुई है, कहने–सुनने से अप्रार्थी मान नही रहे है व प्रार्थी के हक हकूको को संख्याबल में अधिक होने से बाहुबल के जरिये आघातित कर रहे है। [illegible] शांतिप्रिय उम्रदराज व्यक्ति है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली होने के कारण पुलिस [illegible] इत्यादि में भी प्रार्थी की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सुनवाई नही हो रही है। भूमियो का विधिक व वास्तविक नापजोखयुक्त संतुलित विधिक विभाजन अभी होना शेष है। ऐसे में अप्रार्थीगण को मनमर्जी व मनमाने तरीके से शामलाती खातेदारी की भूमि के विशिष्ट भू–भाग को जबरन एकाधिकार में लेने का कोई हक हांसिल नहीं है। मौके पर अप्रार्थीगण ने जोर–शोर से निर्माण कई कारीगर व मजदूर लगाकर जारी कर रखा है, किन्तु मना करने पर मान नहीं रहे है, यही कारण है कि न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या–1 से 6 यदि वादग्रस्त भूमि पर जबरन एकाधिकारयुक्त कोई निर्माण करने में यदि कामयाब हो जावेंगे, तो प्रार्थी को गंभीर, सारभूत व अकथनीय हानि होगी व अप्रार्थीगण की कानूनहीनतायुक्त कार्यवाहियों गलत अनुचित रूप से पुरूष्कृत होने की स्थिति में आ जावेगी, इस कारण अप्रार्थीगण संख्या– 1 से 6 को दौराने दावा व नापजजोपयुक्त बंटवारा खातेदारी में दर्ज हिस्से मुताबिक होने तक रोका जाना अत्यावश्यक हैं अर्सा करीब 4–5 दिन से अप्रार्थी संख्या–1 ता 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6924, 6925, 6927 व 5780 पर जोर, जबरन से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा जबरन निर्माण करने से भूमियों का सही, संतुलित व वैधानिक एवं नापजोपयुक्त हिस्से मुताबिक बंटवारा करने से अर्सा करीब 1 दिन पूर्व इंकार करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तादौराने वाद सुनवाई जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण को तादौराने वाद सुनवाई जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे जब तक भूमियो खसरा नम्बर 6924, 6925, 6927 व 5780 अवस्थित ग्राम झाडली कुल रकबा 1.50 हैक्टर पर दोराने सुनवाई वाद कोई खाम या पक्का निर्माण हवेली इत्यादि का नहीं करे ना ही भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर एकाधिकार की कोई कार्यवाही करे, व उक्त भूमि का कूननी बंटवारा होकर मौके पर पृथक–पृथक भूमि के सीमाचिन्ह गाडे जाने व पृथक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के हक में बनाये जावे, तब तक मौके पर कोई निर्माण किसी प्रकार का उक्त भूमि पर ना स्वयं करे ना दीगर से कराये के संबंध में अप्रार्थीगण को तादौराने सुनवाई दावा तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया जाता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... (नीमकाथाना)

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 07 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या–1 ता 5 का पेश किए । वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–6 का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस किया जाना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या–7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई, बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या–7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब व एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से बहस में लिया गया। जिस पर वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थी ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित कथनों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि पैत्रृक है। प्रार्थी की बहन फूलन देवी के हिस्से में आयी भूमि हिस्सा 1/12 का हकत्याग प्रार्थी को कर दिया गया, हकत्याग लेख की द्वितीय प्रतिलिपि पेश की गईं। अप्रार्थीगण संख्याबल में अधिक होने के कारण बिना बंटवारे के निर्माण करना चाह रहे है, जिससे मेरा हक प्रभावित होता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में उल्लेखित है कि बिना बंटवारे के सहखातेदारान भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के द्वारा अवैधानिक तरीके से निर्माण किया जा रहा है, यदि निर्माण कर लिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। दावे में अप्रार्थीगण के द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा मौके पर जबरन तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका बिना बंटवारा कराये अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी में कमली, गुलाबी के नाम दर्ज है लेकिन इनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त भूमियों का बाहमी बंटवारा पूर्व में हो चूका, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण/उत्तरदाता ने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमियों को मौके पर अलग से प्रार्थी एवं अन्य से बाहमी विभाजन कर रखा है इसी अनुसार अप्रार्थीगण/उत्तरदाता काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थी का केवल 5/12 हिस्सा है, न की 1/2 हिस्सा। यदि बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा किया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पशुओं, कृषि यंत्र, रहवास हेतु निर्माण किया जा रहा हैं न की कब्जा करने हेतु। यदि रिकार्ड हेतु पाबंद किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मौके पर विवादित भूमियों के सहखातेदारान के मध्य आपसी पारस्परिक सहमति से बाह्मी विभाजन विद्यमान है व पक्षकारगण खातेदारान अपने–अपने हक हिस्से की भूमियों पर मुताबिक बाह्मी विभाजन काबिज आबाद है तथा बाह्मी विभाजनानुसार सींवडोल, तारबंदी, जालबंदी, अपने–अपने खर्चे से कायम कर रखी है जिन तथ्यो को छिपाकर मनमाने तथ्य दर्ज करते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र नुमाईशी रूप से मिन अप्रार्थीगण/उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने की दुर्भावना से आधारहीन व औचित्यहीन तरीके से मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किए जाने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया। हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 6924, 6925, [illegible] किता 4 कुल रकबा 1.50 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के [illegible] होना प्रकट होता है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमि में से फूलन देवी के हिस्से में आई संपूर्ण भूमि का हकत्याग प्रार्थी को किया जाना हकत्याग लेख से प्रमाणित होता है। उक्त भूमि का मौके पर पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई विधिक बंटवारा नहीं होना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है, लेकिन मौके पर अस्थायी रूप से बाहमी पृथक–पृथक काश्त करना दोनो पक्षों ने स्वीकार किया है। उक्त भूमि का पैत्रृक होना जमाबंदी से स्पष्ट प्रमाणित होता है। उक्त भमि पर अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जाना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो से प्रकट होता है। यद्यपि अप्रार्थीगण द्वारा पशुओं, कृषि यंत्रों/रहवास हेतु निर्माण किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी शुदा भूमि बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की इस्तदुआ चाही गई है।

चूंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित 6924, 6925, 6927 व 5780 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर के पैत्रृक भूमि होना राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है, जिसका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। खातेदारीशुदा भूमि दर्ज होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टवा मामला बनना प्रकट है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायाहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–: कियात्मक आदेश :–

अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस हद तक स्वीकार की जाती है कि उभय पक्ष को मूल वादपत्र के निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 6924, 6925, 6927 व 5780 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना के मौके एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष कोई नया निर्माण नहीं करेंगे, एक-दूसरे को जोर जबरन बेदखल नहीं करेंगे, ना ही भूमि के विशिष्ठ भू-भाग पर एकाधिकार की कोई कार्यवाही करेंगे लेकिन माननीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए पुराने बने मकानात की मरम्मत कर सकेंगे तथा पहले से चल रहे निर्माण को पूरा कर सकेंगे लेकिन नया निर्माण नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एव ना ही दीगर से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.12.13 11:36:44 IST
Reason: SelfAttested